

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्या:

/आई0आर0डी0-2021 (ग0भ0)

दिनांक

2021

कार्यालय-झाप

शासकीय अधिसूचना-41/2016/1170/36-2-16-8/2004-टी0री0-1, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 की व्यवस्थानुसार राज्य के वैक्यूम पैन चीनी मिलों में कार्यरत रामरत श्रमिकों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 1960=100, माह-नवम्बर, 2020, दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, के औसत अंकों पर दिनांक 01.04.2021 से भुगतान किये जाने की घोषणा है।

अतः माह-नवम्बर, 2020, दिसम्बर, 2020 एवं जनवरी, 2021 के मूल्य सूचकांक कमाण: 7874.93, 7306. 45 व 7760.80 अंक हैं, इसका औसत 7814 अंक आता है। अतः राज्य की वैक्यूम पैन चीनी मिलों में 21/05/2021 कार्यरत समस्त श्रमिकों को 01 अप्रैल, 2021 से 7814 अंकों पर परिवर्तनीय गंदगाई भत्ता अनुमत्य है।

(कल्पना श्रीवारत्न)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 21/05/2021

पत्र संख्या: 964-87 /आई0आर0डी0-2021 (ग0भ0)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समरत क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, मुख्यालय को विभागीय वेवराइट में अपलोड किये जाने हेतु।
3. पुस्तकालय अध्यक्ष, मुख्यालय, कानपुर।
- 4- उप श्रम आयुक्त, नजारत को नाटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु।

(कल्पना श्रीवारत्न)

उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश।